–पेंसट–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या क0नि0-5-2886 / 11-2005-500(116)-2003

लखनऊ, दिनांक 10 नवम्बर, 2005 अधिसूचना

आदेश

प0आ0-908

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पिटत भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 20 मई, 2005 से सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0—5—912 /11 — 2005 —500(116)—2003, दिनांक 20 मई, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, शब्द ''जो किसी चीनी मिल में तीन—सौ—पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करती है'' के स्थान पर शब्द ''जो चीनी मिल / मिलों में तीन—सौ—पचास करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करती है'' रख दिये जायेंगे।

> आज्ञा से, ह0अस्पष्ट अतुल चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. K.N. 5-2886/XI-2005-500(116)-2003, dated November 10, 2005:

No. K.N. 5-2886/XI-2005-500(116)-2003

<u>Lucknow, Dated November 10, 2005</u>

<u>Notification</u>

<u>Order</u>

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to make with effect from May 20, 2005, the following amendment in Government notification no. K.N. 5-912/XI-2005-500(116)-2003, dated May 20, 2005:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the first para, for the words, "who invests rupees three hundred and fifty crore or more in a Sugar Mill", the words, "who invests rupees three hundred and fifty crore or more in Sugar Mill/Mills" shall be substituted.

By order, Sd/-Illegible ATUL CHATURVEDI, Pramukh Sachiv.